राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक:- प.10(2)राज-6/2008/40 जयपुर, दिनांक:- 13-10-2K

-: अधिसूचना :-

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का राजस्थान अधिनियम संख्या-15) की धारा 261 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान भू-राजस्व (भूमि अभिलेख) नियम, 1957 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान भू-राजस्व (भूमि अभिलेख) (पंचम संशोधन) नियम, 2008 है ।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. राजस्थान भू-राजस्व (भूमि अभिलेख) नियम, 1957, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है, के नियम 9 के उप-नियम (1) में विद्यमान अभिव्यक्ति" किन्तु किसी भी पटवारी का एक जिले से दूसरे जिले में स्थानान्तरण सदस्य, भूमि अभिलेख, राजस्व बोर्ड की मंजूरी के बिना नहीं किया जायेगा । एक जिले से दूसरे में स्थानान्तरण की मंजूरी राजस्व बोर्ड देगा । "- के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

" किन्तु एक ही संभाग के एक जिले से दूसरे में स्थानान्तरण संभागीय आयुक्त द्वारा किया जायेगा और एक संभाग से दूसरे संभाग में स्थानान्तरण राजस्व बोर्ड द्वारा किया जायेगा । "

3. उक्त नियमों के विद्यमान नियम 173 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"173 स्थानान्तरण.- कलेक्टर अपने जिले में के भू-अभिलेख निरीक्षक का स्थानानतरण कर सकेगा । एक ही संभाग के एक जिले से दूसरे में स्थानान्तरण संभागीय आयुक्त द्वारा किया जायेगा और एक संभाग से दूसरे संभाग में स्थानान्तरण राजस्व बोर्ड द्वारा किया जायेगा । " ।

राज्यपाल के आदेश से,

(शिव कुमार शर्मा)
शासन उप सचिव

प. 10(2)राज-6/2000

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, राजस्व मंत्री / मुख्य सचिव / राजस्व सचिव ।
2. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान ।
3. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान ।
4. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर ।
5. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर ।
6. निदेशक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर को राजस्थान राजपत्र विशेषांक दिनांक 13.10.2000 में प्रकाशनार्थ ।
7. "राविरा" राजस्व मण्डल, अजमेर ।
8. निदेशक, हरिश चन्द्र माथुर, लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर ।
9. सर्व उद्देशीय राजस्व प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर ।
10. विधि संहिताकरण विभाग ।
11. उपनिबन्धक (वित्त एवं लेखा) राजस्वमण्डल, अजमेर ।
12. संयुक्त रजिस्ट्रार, न्यायाधीश पुस्तकालय, सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली ।
13. रक्षित पत्रावली ।

शासन उप सचिव

मनोज/